

राजस्थान सरकार
कार्मिक-1/गोपनीय प्रकोष्ठ विभाग

प0सं0 1353 कार्मिक/क-1/गो0प्र0/90 जयपुर, दिनांक : 20-01-1999

समस्त विभागाध्यक्ष जिला कलेक्टो सहित

विषय:- राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(2) के अन्तर्गत
अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(2) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 2.11.98 को परिपत्र जारी करते हुए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.10.97 के द्वारा प्रेषित गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया गया था ।

अतः इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से कृपया तत्काल इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें ।

भवदीय,



उप शासन सचिव

प्रतिलिपि समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिवगणों को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें ।



उप शासन सचिव